IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग,
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर,
लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरोIS 0

मानक: पथप्रदर्शक:
Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्रांकः– / / दिनांकः–

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011) के अध्याय–3 के प्रस्तर 3.1.3.1 में यह प्राविधान किये गये है कि परिषद की योजनाओं तथा परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मानचित्र दाखिल किए जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएंगे, यदि मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो तथा उस पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया गया हो, कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण महायोजना एवं भवन उपविधियों के अनुसार है किन्तु विभिन्न मदो में वांछित शुल्क यथा–मलवा शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, आदि नियमानुसार जमा कराना आवश्यक होगा।

अतः एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि परिषद में 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भवनों में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011) के अध्याय–3 के प्रस्तर–3.1.3.1 में दिये गये उक्त प्राविधान के अनुसार अनुज्ञा की प्रकिया लागू की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

भवदीय,

/

(धीरज साहू)
आवास आयुक्त

पत्रांकः– 2628 / / दिनांकः– 04.9.2017

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (सी0टी0सी0पी0) लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक।
5. समस्त जोनल/अपर/संयुक्त/उप आवास आयुक्त।
6. उप आवास आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/वास्तुविद नियोजक।
8. समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक।
9. समस्त अनुभागाध्यक्ष, मुख्यालय।
10. निजी सचिव, आवास आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ।

4.9.17.
(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

Scanned by CamScanner